



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref. सं० / AULA126 / MGGAU / 2024-2025 /

Date:.....

—: सम्बद्धता आदेश :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एव सशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि०-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AULA126 महाराणा प्रताप आफ आयुर्वेद एण्ड मेडिकल साइंसेज कोठी, मधना, कानपुर द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन के क्रम में गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक-23.12.2024 के आधार पर ना० कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संवालयार्थ सत्र 2024-2025 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	बी० ए० एम० एस०	100 सीट

सम्बद्धता की शर्तें-

- संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था को एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तो नौ दिवस के अन्दर कुलसचिव को सूचित किया जायेगा।
- एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि किसी संस्था को मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है अथवा वापस लिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र 2024-2025 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा अथवा सीटें कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2024-2025 का सम्बद्धता आदेश एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव